



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-20012026-269427
CG-MP-E-20012026-269427

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17, 2026/पौष 27, 1947

No. 229]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17, 2026/PAUSHA 27, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भोपाल, 2 जनवरी, 2026

का.आ. 257(अ).— केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम 2008) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में विशेष रेल परियोजना समपार फाटक क्रमांक 238 के बदले रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग-गौहरगंज, जिला रायसेन म०प्र० को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आपेक्षो की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो अपेक्षो को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग गौहरगंज व उप मुख्य अभियंता, निर्माण-प्रथम पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल-इटारसी खण्ड रेल्वे लाईन में रेल्वे ओवर ब्रिज (238)निर्माण परियोजना के लिये अधीग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

ग्राम – बोरदा		तहसील – गौहरगंज			जिला-रायसेन		
क्रमांक	कृषक का नाम	खसरा संख्या	कुल रकबा	अर्जित रकबा	भूमिका प्रकार (निजी / शासकीय)	भूमिकी प्रकृति (कृषि / बंजर)	(सिंचित /असिंचित)
1	मजहरअली पिता अजहरअली	50	0.3840 हेक्ट.	0.3840 हेक्ट.	निजी	कृषि	सिंचित

[कंप्यूटर न.333377 फा. सं. पमरे- बीपीएल सीओ इंजि//2025-ओ/ओ डीवायसीड/ सी-1/ बीपीएल]

इन्द्रजीत वर्मा, सी. ई./ सी -1 डब्लू /सीआर /जेबीपी

MINISTRY OF RAILWAYS

[West Central Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhopal, the 2nd January, 2026

S.O. 257(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (as Amendment Act 2008), the Central Government, After being satisfied that the land, brief description of which is given in the Schedule below, is required for public purpose for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project Construction of Railway Over Bridge in lieu of Level Crossing Gate No. 238 in Raisen District of the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20(d) of the said Act.

Every such objection shall be made in writing to the Competent Officer i.e. Competent Authority and Sub-Divisional Officer (Revenue), Sub-Division-Goharganj, District Raisen, M.P. and shall set out there in the grounds thereof and the Competent Officer shall afford the applicant an opportunity of being heard either in person or through a legal practitioner and after hearing all such objections and making such further inquiry, if any, as the Competent Officer may deem necessary, may by order either allow or disallow the objections.

The order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20(d) of the said Act shall be final.

The plan and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the above mentioned office of the competent authority and the office of Sub-Divisional Officer (Revenue) Sub-Division Goharganj and Deputy Chief Engineer, (Con-1) WEST CENTRAL RAILWAY Bhopal.

SCHEDULE

Brief details of land with or without structure to be acquired for the construction project of Railway Over Bridge (238) in Bhopal-Itarsi section railway line in the state of Madhya Pradesh.

Village – Borda			Tehsil— Goharganj			Dist.-Raisen	
Serial Number	कृषक का नाम	Survey No.	Total area of Land	Area of acquired Land	Type of Land Private/Govt.	Nature of Land agricultural/fallow	Irrigated/Non-irrigated land
1	Majhar Ali S/O Ajhar Ali	50	0.3840 Hec.	0.3840 Hec.	Private	Agricultural	Irrigated

[Computer No.333377 F. No. WCR-BPLC0ENGG/9/2025-O/o Dy.CE/C-I/BPL]

INDRAJEET VERMA, CE/C-1WCR/JBP